

प्रेषक,

आर०सी० लोहनी,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल शासन ।

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादून: दिनांक: 31 जनवरी, 2003

विषय:- राज्य का सहायक पूर्वताधिपत्र §सब्सिडियरी वारेन्ट आफ प्रिंसीडेन्स§
के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित तथा अन्य को
पृष्ठांकित उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या-5333/
3-74 § 73 सा०प्र०अनु०, दिनांक 30 सितम्बर, 1978 की एक प्रति संलग्न
करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य में सहायक
पूर्वताधिपत्र §सब्सिडियरी वारेन्ट आफ प्रिंसीडेन्स§ अभी पृथक से जारी नहीं
किया गया है अतः उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी सहायक पूर्वताधिपत्र के
अनुसार ही अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्नक :- यथोक्त ।

भवदीय,

§आर०सी० लोहनी §
उप सचिव ।

सं०- 73 § 73 / सा०प्रशा०/2003, तददिनांक।

प्रतिलिपि आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को
अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

§ आर०सी० लोहनी §
उप सचिव ।

चन्द्र हास सिंह, (X)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

संखनऊ दिनांक, 30 सितम्बर 1970।

विषय:—राज्य का सहायक पूर्वताधिपत्र (संविनडियरी वारेन्ट ऑफ प्रिंसीपेन्स)

महोदय,

सामान्य
प्रशासन
प्रनुभाग

नगरोक्त विषय पर मुझे इस राज्य का सहायक पूर्वताधिपत्र प्राप्त के सूचनाय एवं मार्ग दर्शन हेतु संलग्न करने का निदेश हुआ है।

2—मुझे यह भी सूचित करना है कि इस पूर्वताधिपत्र का क्रम केवल राजकीय समारोहों के लिये है और यह क्रम सरकार के दिन-प्रति-दिन के कार्य संभालन में लागू नहीं होता है।

भवदीय,
चन्द्र हास सिंह,
संयुक्त सचिव।

संख्या-5333(1)/तीन-72(1)-73-सा 0प्र 0पनु 0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय प्रेषित:—

- 1—सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
- 2—सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव ।
- 3—संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासनों को (कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें) ।

संख्या-5333(2)/तीन-72(1)-73-सा 0प्र 0पनु 0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय एवं पत्र प्रदर्शन हेतु प्रेषित:—

- 1—समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
 - 2—सचिव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, संखनऊ ।
 - 3—महानिदेशाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
 - 4—निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
- (कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें) ।

संख्या-5333(3)/तीन-72(1)-73-सा 0प्र 0पनु 0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनाय एवं पत्र प्रदर्शन हेतु प्रेषित:—

- 1—समस्त मंत्रियों के निजी सचिवों को मंत्री महोदयों के सूचनाय ।
- 2—समस्त राज्य मंत्रियों के निजी सचिवों को राज्य मंत्री महोदय के सूचनाय ।
- 3—सचिवालय के समस्त अधिकारीगण ।
- 4—सचिवालय के समस्त विभाग ।

(कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें) ।

भाजा मे,
चन्द्र हास सिंह,
संयुक्त सचिव ।

कोटिक्रम	पदनाम
(1)	(2)
4.	राज्यपाल
8.	मुख्य मंत्री
16.	विधान परिषद् के समापति विधान सभा के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति
16-प्र	लोक प्रायुक्त
17	राज्य के मंत्रीगण
17-प्र	नेता विरोधी दल (विधान परिषद्/विधान सभा)
19	प्युनी जजेज उप समापति, विधान परिषद् उपाध्यक्ष, विधान सभा राज्य के राज्य मंत्री
20	उप मंत्री महापौर—ग्रामने क्षेत्र में
20-प्र	प्रध्यक्ष, जिला परिषद् (ग्रामने क्षेत्र में) प्रध्यक्ष, नगरपालिका (ग्रामने क्षेत्र में)
22	संसद सदस्य
22-प्र	विधान परिषद् तथा विधान सभा के सदस्य
24	मुख्य सचिव
24-प्र	प्रध्यक्ष, राजस्व परिषद्
25	लेफ्टिनेंट जनरल प्रथवा मजिस्ट्रेट सेना के समकक्ष अधिकारी
26	एडवोकेट जनरल लोक सेवा प्रायोग के अध्यक्ष
28	सदस्य, राजस्व परिषद् प्रध्यक्ष, लोक सेवा आधिकरण विश्वविद्यालय के कुलपति
29	✓ राज्य सरकार के प्रायुक्त एवं सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, गणनायुक्त, उनके समकक्ष या उनसे उच्च स्तर के राज्य सरकार के विमानाध्यक्ष, भारत सरकार के समकक्ष विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य न्यायिक राजस्व परिषद्, स्वशासकीय राजकीय निगमों के समकक्ष मुख्य कार्य अधिकारी, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, मेजर जनरल प्रथवा मजिस्ट्रेट सेना के समकक्ष अधिकारी ।
30	✓ राज्य सरकार के सचिव/चिरोप सचिव प्रतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक ग्राम्य विभागाध्यक्ष (जो ऊपर क्रमसंख्या 15 में सम्मिलित नहीं हैं) भारत सरकार के समकक्ष विभागाध्यक्ष ।
31	जिलाधिकारी जिला न्यायाधीश उप पुलिस महानिरीक्षक पुलिस प्रधीक्षक मुख्य चिकित्सा अधिकारी ।